



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.06.2022

**1-थाना जेवर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 03 मोटर साईकिल बरामद।**

दिनांक 08/06/2022 को थाना जेवर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रिजवान पुत्र गुलामू निवासी कम्बूहान थाना जेवर गौमतबुद्धनगर को प्रज्ञान स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की मोटर साईकिल नं0 एचआर 29एएन 6010 बरामद की गयी तथा अभियुक्त की निशादेही से ढुडेरा रोड से 50 मीटर अन्दर झाडियो मे से चोरी की 02 मोटर साईकिल 1. हीरो होण्डा स्पलैण्डर नं0 एचआर 27 सी 1885 व सीडी डान नं0 यूपी 81जेड 3746 बरामद की गयी है।

### **अभियुक्त का विवरण-**

रिजवान पुत्र गुलामू नि0 कम्बूहान थाना जेवर गौमतबुद्धनगर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 209/2022 धारा 411/414 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 47/2022 धारा 420/414/413/411/201/120बी भादवि थान जेवर गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.01 मोटर साईकिल चोरी की नं0 HR 29AN 6010
2. 01मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर नं0 HR 27C1885
3. 01मोटर साईकिल सीडी डान नं0 UP 81Z 3746



**2- थाना दादरी पुलिस द्वारा, धोखाधडी कर अपने झांसे मे लेकर कुण्डल,पैसे, मोबाइल आदि सामान लेकर फरार हो जाने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 08.06.2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 266/22 व 269/22 धारा 420/406/411 भादवि के अंतर्गत धोखाधडी कर अपने झांसे मे लेकर कुण्डल,पैसे, मोबाइल आदि सामान लेकर फरार हो जाने वाले वांछित 02 अभियुक्तों 1. लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी बझेडा कलां थाना धौलाना जनपद हापुड 2. रणधीर पुत्र श्रीराम निवासी उपरोक्त को तहसील के पास जी0टी0 रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर, 01 अवैध चाकू, 4000/- रूपये बरामद हुए है।

#### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी बझेडा कलां थाना धौलाना जनपद हापुड
2. रणधीर पुत्र श्रीराम निवासी बझेडा कलां थाना धौलाना जनपद हापुड

#### **पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:**

लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी बझेडा कलां थाना धौलाना जनपद हापुड

1. मु0अ0सं0 266/2020 धारा 420/406/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 269/2020 धारा 420/406/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 307/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

रणधीर पुत्र श्रीराम निवासी बझेडा कलां थाना धौलाना जनपद हापुड

1. मु0अ0सं0 266/2020 धारा 420/406/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 269/2020 धारा 420/406/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 308/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण-

1. एक तमचा 315 बोर
2. 4000 रूपये नगद
3. एक अवैध चाकू



### 3- थाना दनकौर पुलिस द्वारा गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार।

दिनांक 07/06/22 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 16/22 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत वांछित अभियुक्त जाहिद पुत्र नूरइलाही निवासी ग्राम अट्टा गूजरान थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को ईदगाह के पास ग्राम अट्टा फतेहपुर यमुना पुस्ता के पास थाना दनकौर से गिरफ्तार किया गया हुए है,जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है।

#### अभियुक्त का विवरण:

जाहिद पुत्र नूरइलाही निवासी ग्राम अट्टा गूजरान थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

#### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0सं0 16/2022 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 176/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

#### बरामदगी का विवरण:

एक तमंचा .315 बोर, 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर



4- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस व चैन सैचिंग करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के उपरान्त 02 लुटेरे बदमाश व लूटे हुए सामान को खरीदने वाला 01 अभियुक्त घायल व गिरफ्तार, कब्जे से लूट/सैचिंग की 06 पीली धातु की चैन, 02 देशी तमंचे 315 बोर मय 2 जिन्दा 2 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त 01 मो0सा0पल्सर फर्जी न0 बरामद।

थाना सेक्टर 24 पुलिस और चैन सैचिंग करने वाले लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के उपरान्त 02 बदमाश 1. विनोद उर्फ सोनू सिंह उर्फ अमन पुत्र रमेश चंद निवासी 284 गली कटरा गुलखान रोबिन सिनेमा सब्जी मंडी शक्ति नगर नार्थ दिल्ली 2. भारत पुत्र लक्ष्मण दास निवासी म0न0 464 ई 4 ब्लाक नंद नगरी दिल्ली गोली लगने से घायल व गिरफ्तार हुए है। तथा इनसे लूटी गयी सोने की चैन खरीदने वाले सुनार विजय सिन्धे पुत्र नानासाहब सिन्धे निवासी सी 1/53 डीएलएफ भोपूरा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान सेक्टर 33 व सेक्टर 35 के मध्य रोड नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट/सैचिंग की 06 पीली धातु की चैन, 02 देशी तमंचे 315 बोर मय 2 जिन्दा 2 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त 01 पल्सर मो0सा0 फर्जी न0 डीएल 5एसबीटी व 01 मो0सा0 रजिस्ट्रेशन न0 डीएल 5एसबीएल8831 विजय सिन्धे(सुनार) की पैशन बरामद हुई है।

#### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. विनोद उर्फ सोनू सिंह उर्फ अमन पुत्र रमेश चंद निवासी 284 गली कटरा गुलखान रोबिन सिनेमा सब्जी मंडी शक्ति नगर नार्थ दिल्ली
2. भारत पुत्र लक्ष्मण दास निवासी म0न0 464 ई 4 ब्लाक नंद नगरी दिल्ली
3. विजय सिन्धे पुत्र नानासाहब सिन्धे निवासी सी 1/53 डीएलएफ भोपूरा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं.196/22 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं.197/22 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0सं.198/22 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

4 मु0अ0सं.199/22 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी का विवरण-

1. 06 पीली धातु की चैन

2. 02 देशी तमंचे 315 बोर मय 2 जिन्दा 2 खोखा कारतूस 315 बोर

3. 01 घटना मे प्रयुक्त पल्सर मो0सा0 फर्जी न0 डीएल 5एसबीटी 8848

4. 01 मो0सा0 पेशन रंग काला रजिट्रेशन न0 डीएल 5एसबीएल8831 विजय सिन्दे(सुनार) की

4. 01 कम्प्यूटरराईज इलेक्ट्रानिक काटा

### 5- थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा 02 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो गांजा बरामद।

दिनांक 08.06.2022 को थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा गांजा तस्कर 02 अभियुक्त 1.जुबेर पुत्र रफीक निवासी साकरोंद थाना खेखडा जनपद बागपत 2. मंजूर अहमद पुत्र इकराम निवासी साकरोंद थाना खेखडा जनपद बागपत को एफएनजी डायवर्जन कट के पास सर्विस रोड चौकी क्षेत्र बहलोलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 20 किलो गांजा बरामद किया गया है।

### अभियुक्तों का विवरण:

1. जुबेर पुत्र रफीक निवासी साकरोंद थाना खेखडा जनपद बागपत

2. मंजूर अहमद पुत्र इकराम निवासी साकरोंद थाना खेखडा जनपद बागपत

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0स0 199/2022 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0स0 200/2022 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण:

20 किलो अवैध गांजा



**#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।**

गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन अधिकारी श्री नीटू बिश्राई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 107/20 धारा 363,366,376 आईपीसी एवं धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम थाना बिसरख में आज दिनांक 08/06/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा अभियुक्त अनवर खान पुत्र मौ0आलम निवासी बगलवारी थाना पोथिया जिला किशनगंज (बिहार) को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

**#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में महिला सुरक्षा इकाई के गहन पर्यवेक्षण में निरंतर गुमशुदा/ अपनों से बिछड़ों को मिलाने के उद्देश्य से कार्यवाही करते हुए थाना ए0एच0टी0यू0 की टीम द्वारा अपना घर आश्रम में रह रही महाराष्ट्र की महिला को परिजनों से मिलाया, 4 वर्ष बाद मिलने पर भावुक हुई मां और बेटी।**

दिनांक 27.05.2022 को काउंसलिंग के दौरान ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा अपना घर आश्रम सै0-34 नोएडा में एक महिला ने अपना नाम उम्र-44 वर्ष तथा यह भी बताया कि मैं अपनी बुआ के घर परतुर जिला जालना महाराष्ट्र गयी थी। इस पते का गूगल मैप पर सर्च करके थाना परतुर पर सम्पर्क किया गया तो थाने से सूचना मिली कि दिनांक 22.10.19 को महिला के फुफेरे भाई संजय के द्वारा गुमशुदगी दर्ज करायी थी। थाने पर दर्ज गुमशुदगी से संजय का मो0 नं0 लेकर वार्ता कर महिला रेनुका के बारे में बताया तो महिला रेनुका के फुफेरे भाई द्वारा बताया गया कि रेनुका की अपने पति बिटठल नि0-नुथुन वासा कालोनी जिला जालना महाराष्ट्र के साथ अनबन रहती थी जिसके कारण रेनुका वर्ष 2015 में अपने मायके आ कर अपनी माता निवासी-ग्राम समता कालोनी वार्ड न0-02 देऊगांव जिला राजा बुलडाणा, महाराष्ट्र के पास आकर रहने लगी थी। मायके आने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली जिसके बाद महिला और अधिक तनाव में रहने लगी। महिला की मां को किसी काम से उसकी बुआ के पास परतुर जिला जालना महाराष्ट्र भेजा था। बुआ के घर से आते समय उक्त महिला गलत ट्रेन में बैठ गयी और घर नहीं पहुँच पायी। हम लोगो ने काफी तलाश किया परन्तु वह हमे कहीं नहीं मिली। तो हमने थाना परतुर जिला जालना पर रिपोर्ट लिखा दी थी। महिला के बारे में जानकर उसकी माँ व उसके परिवारजन बहुत खुश हुए। दिनांक 08.06.2022 को महिला की माता व बहनोई भाउसाहब आशुभ नोएडा आये। 4 साल बाद माँ बेटी आपस में मिले तो भावुक होकर आँखों में खुशी के आँसू आ गये। एसीपी 1 नोएडा/महिला सुरक्षा के नेतृत्व में एएचटीयू टीम द्वारा महिला को अपना घर आश्रम के सहयोग से व एसीपी 2 नोएडा के निर्देश के क्रम में उसकी माता व बहनोई भाउसाहब के सुपुर्द किया गया।